



2026:AHC:60408

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 3938 वर्ष 2026

शैलेन्द्र कुमार राय उर्फ शैलेन्द्र सिंह एवं एक अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शुभम मौर्य, विनय कुमार

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन, दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) एफ.टी.सी. प्रथम के न्यायालय में लंबित परिवाद संख्या 934 वर्ष 2021 (रीना राय बनाम शैलेन्द्र कुमार राय एवं अन्य), अंतर्गत धारा 498-क, 323, 504, 506 आई.पी.सी. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सकलडीहा, जिला चंदौली की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 के पति हैं और आवेदक संख्या 2 उनकी सास हैं। आवेदक संख्या 1 और विपक्षी संख्या 2 का विवाह 25.06.2018 को संपन्न हुआ था, जिसके पश्चात आवेदकों द्वारा लगातार दहेज की मांग की गई और इसी कारण विपक्षी संख्या 2 द्वारा वर्तमान शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान और जारी किया गया सम्मन आदेश न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी जो कि लंबित है; इसके अतिरिक्त, धारा 13-बी की कार्यवाही में दिनांक 11.08.2025 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पक्षकार मध्यस्थता के लिए उपस्थित नहीं हुए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता संपन्न नहीं हुई। शिकायत के साथ-साथ धारा 200 द.प्र.स. के तहत दर्ज बयानों के अवलोकन से कथित धाराओं के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। वर्तमान शिकायत काफी विलंब के बाद दर्ज की गई है। आवेदकों के विरुद्ध चल रही विचारण न्यायालय की कार्यवाही में उपरोक्त मामले में मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। वर्तमान मामला किसी भी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि आवेदक संख्या 2 विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थीं और उन्हें 26.07.2022 को जमानत पर रिहा किया गया था। आवेदक संख्या 1 ने विचारण की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था; विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जमानत के लिए आवेदन करने हेतु दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। आदेश दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से गैर-जमानती वारंट को वापस लिया गया था। आदेश पत्रक से यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान मामले का चरण धारा 244 द.प्र.स. के तहत कार्यवाही का है और वर्तमान आवेदन काफी विलंब के बाद दायर किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ने वारंट के बावजूद जानबूझकर विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही से परहेज किया, इसलिए आवेदक प्रार्थना के अनुसार राहत का हकदार नहीं है।

5. आवेदन में लिए गए आधारों से पता चलता है कि उनमें से कई तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं। इस न्यायालय का यह मत है कि यह सुस्थापित है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन करना विचारण न्यायालय का कार्य है। यह न्यायालय बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रकार का क्षेत्राधिकार ग्रहण नहीं कर सकता और कानून द्वारा प्रदान की गई विचारण की प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में यह भी तय किया गया है कि आवेदकों के विरुद्ध आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है। बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत 'प्री-ट्रायल' (विचारण से पूर्व) चरण में शक्ति का प्रयोग सामान्य तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग संयम से केवल ऐसे उपयुक्त मामलों में किया जाना चाहिए, जहाँ स्पष्ट रूप से प्रतीत हो कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के विरुद्ध कोई कानूनी बाधा है, या जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोप-पत्र में लगाए गए आरोप और उनके समर्थन में भरोसेमंद सामग्री, यदि उन्हें पूरी तरह



स्वीकार कर लिया जाए, तब भी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं। तथ्यों के विवादित प्रश्नों और अभियुक्त के बचाव पर इस प्री-ट्रायल (विचारण से पूर्व) चरण में विचार नहीं किया जा सकता।

6. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 866; मानिक बी. बनाम कदापला श्रेयस रेड्डी और अन्य, 2023 लाइवलो (एससी) 642; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (आपराधिक) 426; बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (आपराधिक) 192 और अंततः झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक और अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (आपराधिक) 283 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में, उपरोक्त मामले की कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता है, जो इस न्यायालय द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी हस्तक्षेप की मांग करता हो, क्योंकि इसमें कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।

7. आवेदकों का वर्तमान 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन उपरोक्त टिप्पणियों के साथ एतद्वारा खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

24 मार्च, 2026